Details of Pending Amount of EDC and IDC

***566. SH. ABHAY SINGH CHAUTALA, M.L.A.:** Will the Chief Minister be pleased to state:-

a) The details of total amount of external development charge and infrastructure development charge pending against the property developers in State upto 1st April, 2020;

b) The details of the total amount realized from the developers separately as mentioned in part (a) above under EDC rescheduling policy in September, 2018; and

c) The reasons for which the total amount related to EDC and IDC have not been realized from the property developers together with the details of the action taken against the defaulters?

Reply-

Manohar Lal, Chief Minister

Sir,

A statement is laid on the table of the house.

STATEMENT

a) These amounts are Rs. 14,457.54 crore (Principal Rs. 8037.99 Crore + Interest Rs. 1659.67 Crore + Penal Interest Rs. 4759.88 Crore) and Rs. 818.46 crore (Principal Rs. 410.06 Crore + Interest Rs. 10.02 Crore + Penal Interest Rs. 398.38 Crore) respectively.

b) Rs. 652.98 Crore on account of EDC and Rs. 23.56 Crore on account of SIDC have been realized from the colonizers under EDC Re-schedulement Policy dated 21.09.2018.

c) The colonizers have been defaulting in making payment of External Development Charges and State Infrastructure Development Charges as per the bilateral agreement executed at the time of grant of license.

The department doesn't grant permissions/approval for building plans, service plan estimates, renewals of license, occupation certificate, part completion/ completion certificate etc. to the colonizers who defaults in payment of EDC/SIDC.

The Department initiated action against defaulting colonizers, under the provisions of Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (Act of 1975) for cancellation of license and issued 176 notices under Rule 18(1), 140 notices under

Rule 18(2), 26 notices under Rule 18(3) and till date 39 licenses have already been cancelled under Section 8 of the Act.

ई0डी0सी0 तथा आई0डी0सी0 की लम्बित राशि का ब्यौरा

*566. श्री अभय सिंह चौटाला, एम0एल0ए0 : क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे किः–

(क) 1 अप्रैल, 2020 तक राज्य में प्रोपर्टी डेवेलपरों के विरूद्ध लम्बित बाहरी विकास प्रभार (शुल्क) तथा बुनियादी ढांचा विकास शुल्क की कुल राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) सितम्बर, 2018 में ई0डी0सी0 पुनः निर्धारण नीति के तहत ऊपर भाग (क) में वर्णित के अनुसार डेवेलपरों से पृथक–पृथक वसूली गई कुल राशि का ब्यौरा क्या है; तथा

(ग) प्रोपर्टी डेवेलपरों से बाहरी विकास प्रभार (शुल्क) एवं बुनियादी ढांचा विकास शुल्क से संबंधित कुल राशि वसूल न करने के क्या कारण हैं तथा दाषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

जवाबः–

मनोहर लाल, मुख्यमंत्री जी

माननीय,

एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) कुल राशि क्रमशः 14,457.54 करोड़ (मूल राशि 8037.99 करोड़ + ब्याज 1659.67 करोड़ + दंण्ड शुल्क 4758.88 करोड़) तथा 818.46 करोड़ (मूल राशि 410.06 करोड़ + ब्याज 10.02 करोड़ + दंण्ड शुल्क 398.38 करोड़) लम्बित है।

(ख) विभाग द्वारा जारी पुनर्निर्धारण नीति 21.09.2018 के अर्न्तगत उपनिवेशक से बाहरी विकास शुल्क (ई0डी0सी0) के तहत राशि 652.98 करोड़ एवं राज्य बुनियादी ढांचा विकास शुल्क (एस0आई0डी0सी0) के तहत राशि 23.56 करोड़ की वसूली हुई है।

(ग) लाइसेंस के अनुमति के समय निष्पादित द्विपक्षीय समझौते के अनुसार उपनिवेशक बाहरी विकास प्रभार (शुल्क) एवं राज्य बुनियादी ढांचा विकास शुल्क का समय पर भुगतान नहीं कर रहे हैं।

विभाग बाहरी विकास प्रभार (शुल्क) एवं राज्य बुनियादी ढांचा विकास शुल्क का समय पर भुगतान न करने वाले उपनिवेशकों को भवन निर्माण की योजना, सेवा योजना के अनुमान, लाइसेंस के नवीकरण, कब्जा प्रमाणपत्र, आंशिक समापन प्रमाणपत्र, / पूर्णता समापन प्रमाण पत्र आदि के लिए अनुमति / अनुमोदन नहीं करता है।

विभाग ने लाइसेंस रद्द करने के लिए हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्रों के विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 के अधिनियम) के प्रावधानों के तहत,

उपनिवेशकों के खिलाफ लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई शुरू की तथा नियम 18(1) के तहत 176 नोटिस, नियम 18(2) के तहत 140 नोटिस, नियम 18(3) के तहत 26 नोटिस जारी किए जा चुके है व अब तक 39 लाइसेंस अधिनियम की धारा 8 के तहत रद्द कर दिए गए हैं।